राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5192/2022

नील प्रभा —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।
3. प्रधानाचार्य, एसएमडीएसएस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खातीपुरा, जयपुर।
4. श्री भारतभूषण कुकरेजा, व्याख्याता, गणित एसएमडीएसएस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खातीपुरा, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सांगानेर, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.10.2022
आदेश की दिनांक : 29.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी संख्या–4 की ओर से : श्री विक्रम सिंह राठौड़, अभिभाषक

समक्षः– मातादीन शर्मा, सदस्य
एम.एस.काला, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में संशोधन वास्ते संशोधित अपील प्रस्तुत की, उस पर उनको सुना गया। संशोधित अपील स्वीकर कर संशोधित अपील को रिकॉर्ड पर लिया गया।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता (गणित) के पद पर शहीद मेजर दिगविजय सिंह सुमल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खातीपुरा, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक–1a) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खतेपुरा, जयपुर किया गया है तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 का स्थानान्तरण महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, गणपति नगर, रेलवे कॉलोनी, जयपुर से स्थानान्तरणाधीन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बगराना, जयपुर से शहीद मेजर दिगविजय सिंह सुमल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खातीपुरा, जयपुर अपीलार्थी के स्थान पर किया गया तथा प्रत्यर्थी वभाग के आदेश दिनांक 28.10.2022 (अनुलग्नक–1b) के द्वारा अपीलार्थी

का स्थानान्तरण शहीद मेजर दिगविजय सिंह सुमल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खातीपुरा से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खतेपुरा स्थानान्तरणाधीन से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सांगानेर, जयपुर किया गया। अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजित (Accommodate) करने के आशय से किया गया है तथा निजी प्रत्यर्थी को यात्रा भत्ता एवं योगकाल नहीं दिया गया, इससे स्पष्ट होता है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर किया गया है, जबकि अपीलार्थी द्वारा स्थानान्तरण हेतु कोई अनुरोध नहीं किया गया। अपीलार्थी परित्यक्ता महिला है। प्रत्यर्थी विभाग के पत्र दिनांक 14.07.2022 (अनुलग्नक–2) के बिन्दु संख्या 5 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी काफी समय से पीठ दर्द (back ack) से पीड़ित है, जिसका इलाज चल रहा है (अनुलग्नक–6)। अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 11181/2019 नेमीचन्द बनाम अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में पारित आदेश दिनांक 15.07.2019 (अनुलग्नक–9) का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान बताया गया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 24.09.2022 एवं 28.10.2022 को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को निरंतर शहीद मेजर दिगविजय सिंह सुमल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खातीपुरा, जयपुर में कार्य करने दिया जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ दिए जावे।

निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.09.2022 के द्वारा जयपुर जिले में ही जयपुर शहर के पास ही किया गया था एवं आदेश दिनांक 28.10.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण जयपुर शहर में ही कर दिया गया है। प्रत्यर्थी संख्या–4 को समायोजित करने के लिए अपीलार्थी का स्थानान्तरण नहीं किया गया है। अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत पदस्थापन विवरण के अनुसार स्पष्ट है कि अपीलार्थी दिनांक 03.09.2016 से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खातीपुरा, जयपुर में कार्यरत है। इसलिए अपीलार्थी का स्थानान्तरण पूर्णतः प्रशासनिक कारणों से किया गया है। अपीलार्थी एक ही स्थान पर लम्बे समय तक रहने का अधिकार नहीं रखती है स्थानान्तरण प्रशासन को सुचारू रूप से चलाये जाने की एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है, जो कि सभी कर्मचारियों के सेवाकाल में होता है। अपीलार्थी की अपील निष्फल होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

हमने अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक–1a) एवं 28.10.2022 (अनुलग्नक–1b) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है। अपीलार्थी परित्यक्ता महिला है। अतः प्रकरण की उक्त वर्तमान परिस्थितियों पर विचार करते हुए हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी तीन सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक–1a) एवं 28.10.2022 (अनुलग्नक–1b) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(एम.एस.काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य